प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 3249/2025

1 – श्रीमती. जानकी वर्मा पति श्री जितेंद्र वर्मा लगभग 36 वर्ष, निवासी गाँव–सतभानवा, पुलिस स्टेशन–टिल्डा–नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , पंचायत तथा ग्रामीण विकास, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2 – कलेक्टर जिला–रायपुर (छ.ग.)
3 – उप–मंडल अधिकारी (राजस्व) टिल्डा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
4 – निर्वाचन अधिकारी जनपद पंचायत, टिल्डा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
5 – तहसीलदार टिल्डा, तहसील–टिल्डा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
6 – पीठासीन अधिकारी पूलिंग बूथ संख्या 115, ग्राम पंचायत सतभानवा, जनपद पंचायत, टिल्डा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
7 – पीठासीन अधिकारी पूलिंग बूथ संख्या 116, ग्राम पंचायत सतभानवा, जनपद पंचायत, टिल्डा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
8 – पीठासीन अधिकारी पूलिंग बूथ संख्या 117, ग्राम पंचायत सतभानवा, जनपद पंचायत, टिल्डा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
9 – किरण संदीप वर्मा पति संदीप वर्मा निवासी गांव–खापरीखुर्द, पुलिस थाना–टिल्डा–नेवरा, निवासी–रायपुर (छ.ग.)

----उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री अखंड प्रताप,अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री अनुराग त्रिपाठी,पैनल अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

27/06/2025

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना करते हैंः

"(I) यह कि, यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेख को मंगवाने और बूथ संख्या 117 के मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश देने की कृपा करे।

(ii) यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया एक उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिससे उत्तरवादी अधिकारियों को पुनर्गणना करने और याचिकाकर्ता द्वारा किया गया परिवाद और अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश मिले (अनुलग्नक पी/3)।

(iii)यह कि, यह माननीय न्यायालय विद्वान एसडीओ (राजस्व) द्वारा पारित दिनांक 30.04.2025 के आदेश को रद्द करने की कृपा करे।

(v) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य अनुतोष भी प्रदान किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 9 ने सरपंच, ग्राम पंचायत, सतभांवा, पुलिस थाना–तिल्दा–नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.) के पद के लिए चुनाव लड़ा था। निर्वाचन 20.02.2025 को तीन बूथों अर्थात् बूथ क्रमांक 115, 116 और 117 पर हुआ था। निर्वाचन समाप्ति के बाद मतगणना की गई।याचिकाकर्ता ने बूथ संख्या 115 में कुल 257 वोट और बूथ संख्या 116 में 209 वोट हासिल किए हैं, जबकि उत्तरवादी संख्या 9 ने बूथ संख्या 115 में 30 वोट और बूथ संख्या 116 में 17 वोट हासिल किए हैं। उत्तरवादी अधिकारियों ने बूथ संख्या 117 में याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए वोटों का खुलासा नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि बूथ संख्या 117 के पीठासीन अधिकारी ने मतगणना के समय याचिकाकर्ता के एजेंटों को अनुमति नहीं देकर उत्तरवादी संख्या 9 का पक्ष लेते हुए अवैध तरीके से काम किया है और मतगणना याचिकाकर्ता और उसके एजेंटों की पीठ पीछे अवैध और मनमाने तरीके से की गई थी। मतगणना के बाद उत्तरवादी संख्या 9 को निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 9 को दो बूथों में कुल 47 वोट मिले, जबकि याचिकाकर्ता को दो बूथों में कुल 466 वोट मिले।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत किया है कि परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने पुनर्मतगणना का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिना किसी कारण के, उन्होंने बूथ संख्या 117 के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनाए गए उपरोक्त अवैध तरीके के खिलाफ उत्तरवादी अधिकारियों के समक्ष परिवाद और अभ्यावेदन दिए और बूथ संख्या 117 के मतों की पुनर्मतगणना के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन आज तक उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की परिवाद/अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की है, केवल उत्तरवादी संख्या 9 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए।याचिकाकर्ता ने इससे पहले 05.03.2025 को एक रिट याचिका दायर करके इस माननीय न्यायालय का रुख किया था।दिनांक 21.03.2025 के आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान

की, और परिणामस्वरूप, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई।माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.04.2025 को विद्वान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा–नेवरा, जिला– रायपुर के न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की। हालाँकि, दिनांक 30.04.2025 के आदेश द्वारा, विद्वान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा–नेवरा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत दायर उक्त चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह 30 दिनों की निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी।यह प्रस्तुत किया गया है कि चुनाव याचिका के साथ, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था, जिसे बाद में बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वह अपने द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए मामले को वापस भेजने का अनुरोध करते हैं।

4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण का विरोध किया और कहा कि विलम्बित चरण में आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी (आर) ने 30.04.2025 का आदेश पारित करके सही किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

6. अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 9 ने सरपंच, ग्राम पंचायत, सतभांवा, पुलिस थाना–तिल्दा–नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.) के पद के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव 20.02.2025 को हुआ था। परिणाम घोषित होने के बाद और परिणाम से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष चुनाव मतों की पुनर्गणना का अनुरोध किया था, लेकिन बिना किसी कारण के ऐसा नहीं किया गया।परिणाम घोषित होने के बाद तथा परिणाम से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष चुनाव मतों की पुनर्गणना का अनुरोध किया, लेकिन बिना किसी कारण के ऐसा नहीं किया गया है।अतः, याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका अर्थात डब्ल्यूपीसी संख्या 1484/2025 दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया था।दिनांक 21.03.2025 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने यह स्वतंत्रता देते हुए आदेश पारित किया है कि याचिकाकर्ता विधि के अनुसार चुनाव याचिका दायर कर सकता है।इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने 11.04.2025 को उपखंड अधिकारी राजस्व के समक्ष परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ चुनाव याचिका दायर की, जिसे उपखंड अधिकारी (राजस्व) ने 30.04.2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चुनाव याचिका 30 दिनों की निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी।

7. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122(2) में प्रावधान है कि ऐसी कोई भी याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह प्रश्नगत चुनाव की अधिसूचना दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत न की जाए।

8. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 29 (2) में प्रावधान है किजहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करता है, वहाँ धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि हो और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में निहित प्रावधान केवल वहीं तक और उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित नहीं किया गया है।

9. उपरोक्त धारा के तहत, चुनाव 24.02.2025 को अधिसूचित किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा 11.04.2025 को चुनाव याचिका दायर की गई थी और पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 के तहत एक बहिष्करण खंड है क्योंकि अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि से परे चुनाव याचिका को स्वीकार करने में एक वैधानिक रोक है, इसलिए सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रावधान ऐसी कार्यवाही में लागू नहीं होता है।अतः वर्तमान रिट याचिकाखारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur